उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-06/2021-22

उपन यादव

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 16.9.21

अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता उपन यादव वो झूपन यादव वो सगुन यादव, माता–स्व0 लोगनी देवी वो गुरन यादव वो भूपाल यादव वो महीन्दर यादव पे0–स्व0 अधिक यादव वो बसंत यादव पे0–भग्गू यादव सभी साकिनान बेलारी, थाना–गोड्डा नगर जिला–गोड्डा ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नम्बर–68/80–81 आदेश दिनांक 23.03.1982 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण का आवेदन है कि मौजा–बेलारी नम्बर–527 जमाबंदी संख्या–78 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोपेश चन्द्र सरकार के नाम से दर्ज है। लेकिन उक्त जमीन मूल रूप से ताराचन्द मांझी उर्फ यादव, उदम मांझी उर्फ यादव, जदु मांझी उर्फ यादव, पदु मांझी उर्फ यादव सभी का पिता–चकर मांझी, दारोगी मांझी उर्फ यादव, दुखन मांझी उर्फ यादव दोनो का पिता सरवन मांझी का था। ताराचन्द मांझी वगैरह ने उक्त जमीन गत सर्वे सेटलमेंट के समय 20 वर्षों के लिए कुर्फा के द्वारा मोपेश चन्द्र सरकार को हस्तान्तरण किया था। 20 वर्षो के बाद दाग नम्बर–1405, 1406 एवं 1407 रकवा 04–06–09 धुर जमीन अपीलकर्त्तागण के पूर्वज ताराचन्द मांझी वगैरह को वापस किया गया। अपीलकर्त्तागण के पूर्वज का नाम गत सर्वे सेटलमेंट के ट्रान्सफर लिस्ट में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जमीन अपीलकर्त्तागण की पैतृक जमीन है। उत्तरवादी फ्रांसिस हरबल साव ने वर्ष 1980–81 में उक्त जमीन का नामांतरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन केश नंम्बर–68/80–81 दायर किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को उक्त जमीन का नामांतरण स्वीकृत करने के पूर्व मौजा के सोलह आना रैयतों को सही तरीका से नोटिश तामिला करना चाहिए था। साथ ही अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों को भी नोटिश देना चाहिए था। लेकिन बिना नोटिश तामिला किये बिना ही अनुमंडल पदधिकारी, गोड्डा ने नियम विरूद्ध उत्तरवादी फ्रांसिस हरबल साव के नाम से उक्त जमीन नामांतरण स्वीकृत किया है। अंत में अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल

पदाधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केश नम्बर 68/1980–81 आदेश दिनांक–23.03.1982 को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

इस सम्बंध में विज्ञ सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। मंतव्य दिया गया है कि मौजा–बेलारी नम्बर–52 जमाबंदी संख्या–78 दाग नम्बर–1405, 1406 एवं 1407 की जमीन का नामांतरण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद संख्या–68/80–81 आदेश दिनांक–23.02.1982 के द्वारा एफ0 एच0 साव पे0–स्व0 एल0 बी0 साह सा0–पंदाहा, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा के नाम से नामांतरण किया गया है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त नामांतरण आदेश दिनांक–23.02.1962 के विरूद्ध चालीस वर्षों के बाद दिनांक–05.04.2021 को अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पूर्ण रूप से कालबाधित होने के अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए अपील आवेदन कालबाधित होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विज्ञ सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद संख्या–68/1980–81 के आदेश दिनांक–23.02.1982 के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण के द्वारा दिनांक–05.04.2021 को अपील आवेदन दायर किया है। इसलिए कालबाधित होने के कारण प्रविष्टि बिन्दु पर अंगीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन प्रविष्टि के स्तर पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

RMA No.06-2021-22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 15:53:28 +05:30
Location: 192.168.29.32